रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 365] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 12, 2014/अग्रहायण 21, 1936
No. 365] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 12, 2014/AGRAHAYANA 21, 1936

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 2014

फा. सं. पी.-15025/261/2013-पीए/एफएसएसएआई.—खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए कतिपय विनियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 23 के साथ पठित धारा 92 की उप-धारा (2) के खंड (ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करता है, उक्त धारा 92 की उप-धारा (1) द्वारा यथापेक्षित उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनका उससे प्रभावित होना संभाव्य है, प्रकाशित करता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं, से तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा ;

आक्षेप और सुझाव, यदि कोई हों, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, खाद्य और औषधि प्रशासन भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002 को भेजे जा सकेंगे ;

ऐसे आक्षेपों और सुझावों पर, जो इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व उक्त प्रारूप विनियमों की बाबत किसी व्यक्ति से प्राप्त हों, खाद्य प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा ।

प्रारूप विनियम

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :** इन विनिमयों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) संशोधन विनियम, 2014 है ।

2. खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2011 में,—

(क) 'विनिर्दिष्ट अपेक्षाएं/लेबल लगाने की रीति पर निर्बंधन' से संबंधित 2.4 के 'अन्य उत्पाद पर विनिर्दिष्ट लेबल लगाने संबंधी अपेक्षाएं' से संबंधित उपविनियम 2.4.5 में खंड 48 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"49. कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज का प्रयोग किए जाने वाले परोसने के लिए तैयार पेयों के प्रत्येक पैकेज पर प्रयुक्त किए गए कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज की मात्रा और उसमें फल अंश अंकित होगा"।

युद्धवीर सिंह मलिक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./1870/14/228]

टिप्पण: मूल विनियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना संख्यांक फा. सं. 2-15015/30/2010, तारीख 1 अगस्त, 2010 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचना सं. द्वारा संशोधित किए गए :--

(i) फा.सं. 4/15015/30/2011, तारीख 7 जून, 2013 ।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Food Safety and Standards Authority of India)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th December, 2014

F. No P.15025/261/2013-PA/FSSAI.—The following draft of certain regulations further to amend the Food Safety and Standards (Packaging and Labeling) Regulations, 2011, which the Food Safety and Standards Authority of India, with previous approval of the Central Government, proposes to make, in exercise of the powers conferred by clause (k) of sub-section (2) of section 92 read with section 23 of Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) hereby publishes as required by the said sub-section (1) of section 92, for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft regulations shall be taken into consideration after the expiry of the period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public;

Objections or suggestion, if any, may be addressed to the Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India, Food and Drug Administration Bhawan, Kotla Road, New Delhi-110002;

The objections and suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft regulation before the expiry of the period so specified, will be considered by the Food Authority.

Draft Regulations

1. Short title and commencement : These regulations may be called the Food Safety and Standards (Packaging and Labeling) Amendment Regulations, 2014

2. In the Food Safety and Standards (Packaging and Labeling) Regulations, 2011,—

(a) in regulation 2.4 relating to 'Specific Requirements/Restrictions on manner of labeling' in sub-regulation 2.4.5 relating to 'Specific Labeling Requirements of other products' after clause 48, the following shall be inserted, namely:—

"49. Every package of Ready to Serve Beverages using Carboxymethyl Cellulose shall bear the quantity of Carboxymethyl Cellulose used and fruit content therein".

YUDHVIR SINGH MALIK, Chief Executive Officer

[ADVT-III/4/Exty./1870/14/228]

Note : The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 *vide* notification number F.No. 2-15015/30/2010 dated the 1st August, 2010 and subsequently amended *vide* notification number:-

(i) F.No. 4/15015/30/2011, dated 7th June, 2013.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 2014

फा. सं. पी.-15025/261/2013-पीए/एफएसएसएआई.—खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए कतिपय विनियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 16 के साथ पठित धारा 92 की उपधारा (2) के खंड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करता है, उक्त उपधारा (2) द्वारा यथापेक्षित उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनका उससे प्रभावित होना संभाव्य है, प्रकाशित करता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं, तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा ;

आक्षेप और सुझाव, यदि कोई हों, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, खाद्य और औषधि प्रशासन भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002 को भेजे जा सकेंगे ;

ऐसे आक्षेपों और सुझावों पर, जो इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व उक्त प्रारूप विनियमों की बाबत किसी व्यक्ति से प्राप्त हों, खाद्य प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा ।

प्रारूप विनियम

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :** इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) संशोधन विनियम, 2014 है ।

2. खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 में,—

(क) 'रंजक सामग्री' से संबंधित विनियम 3.1.2 में खंड (2) में उपखंड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

"(ज) एन्थोसाइएनिन्स

(झ) कॉपर कोलोरोफिलिन

(ञ) प्राकृतिक कैरोटीन्स

(ट) पैप्रिका

(ठ) कार्थेमस

(ड) ल्यूटीन :

परंतु शिशु खाद्य में कोई प्राकृतिक रंग अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।"

(ख) खाद्य योज्यकों के मानक से संबंधित विनियम 3.2 में, उपविनियम 3.2.1 में, खंड 15 के पश्चात् निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :--

"(16) एन्थोसाइएनिन्स :

(i) **अंगूर त्वक् निष्कर्षण** - अल्प अभिलक्षणिक गंध वाला बैंगनी-लाल द्रव, चूर्ण या पेस्ट और अंगूर त्वक् या मार्क से रस निचोड़ने के पश्चात् उसके जलीय निष्कर्षण द्वारा अभिप्राप्त किया जाता है ; इसके अंतर्गत अंगूर रस अर्थात् एन्थोसाइएनाइन,